रजिस्टर्ड

प्रेषक,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज।

सेवा में,

प्रबन्धक,
श्री बजरंग जनता इण्टर कॉलेज
शकरदहा, कुण्डा प्रतापगढ़।

पत्रांकः मा0शि0प0/क्षे0का0प्र0/मान्यता/ 653 दिनांक 05-7-2025

विषयः **इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषय की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की मान्यता समिति की संस्तुति पर सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद के अनुमोदनोपरान्त शासन ने शासनादेश संख्या 516(3)/15–7–2025–1(02)/2025 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–7 लखनऊ दिनांक 25 जून 2025 के द्वारा इण्टरमीडएट शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित–2022) की धारा–7क(क) के अन्तर्गत आपकी संस्था को बालक/बालिका विद्यालय के रूप में इण्टर मानविकी, वैज्ञानिक, वाणिज्य व कृषि वर्ग की नवीन मान्यता परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा वर्ष–2027 से निम्नलिखित सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के अधीन दिये जाने का आदेश प्रदान किया है।

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित 2022) की धारा 7क(क) के प्राविधानों के अन्तर्गत इस पत्र द्वारा नवीन वर्गों की प्रदत्त मान्यता को 11 वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध की व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था, साज–सज्जा, शिक्षण सामग्री, एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति कर ली जाय तथा विद्यालय के अनुशासन एवं प्रशासन की व्यवस्था सुनिश्चित कर जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से परिषद् को अवगत करायें।

(2) इस मान्यता–पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद् कार्यालय को 11 वीं कक्षा संचालित करने की विधिवत् लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(3) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताधारी पात्र व्यक्तियों को कार्य पर लगाया जाय।

(4) एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय। यह प्रतिबन्ध केवल इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता पर ही प्रभावी होगा।

(5) विद्यालय संचालन हेतु आवर्तक एवं अनावर्तक समस्त व्यय भार प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित 2022) की धारा 7(4) के समस्त प्राविधान यथावत् लागू होंगे। इस निमित्त कोई अनुदान देय नहीं होगा।

कृ0प0उ0

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्था में निर्धारित मानकों के विपरीत यदि कोई तथ्य प्रकाश में आता है तो मानकों की पूर्ति सम्बन्धी आख्या देने वाले जनपदीय/मण्डलीय अधिकारी व कार्मिक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगें।

(ख) यदि प्रदत्त मान्यता के पश्चात् मान्यता प्रदान किये जाने के समय प्रस्तुत संस्था के मानकों में विचलन की स्थिति उत्पन्न होती है तो सम्बन्धित संस्थाधिकारी स्वंय उत्तरदायी होंगें और तदनुसार कमी पाये जाने पर प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

(ग) विद्यालय का प्रबन्धतंत्र प्रत्येक तीन माह में विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सूची उनकी शैक्षणिक योग्यताओं के साथ परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे अन्यथा विद्यालय को प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

(घ) प्रतिभूत (जमानत) की धनराशि रू0 20,000/– (रू0 5000/–प्रति वर्ग की दर से) विद्यालय के नाम जमा एवं जिला विद्यालय निरीक्षक के पद नाम में बंधक कराकर प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से भेजें।

(ड) इण्टर की मान्यता सर्व प्रथम तीन वर्ष के लिए प्रदान की जायेगी तदोपरान्त स्ववित्त पोषित संस्था द्वारा विद्यालय संचालन हेतु निर्धारित व्यवस्थाओं की समुचित उपलब्धता और मान्यता की शर्तों के अनुपालन की वस्तुस्थिति के स्थलीय निरीक्षणोपरान्त उपयुक्त पाये जाने पर परिषद द्वारा पाँच वर्ष के लिए नवीनीकरण किया जायेगा।

(च) यह मान्यता का आदेश माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या–25/2006 मंजू अवस्थी व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 05 अन्य विशेष अपील में मान0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.11.2012 के विरूद्ध मान0 उच्च न्यायालय में योजित क्लियरी–फिकेशन अप्लीकेशन में पारित होने वाले निर्णय के अधीन होंगे।

प्रदत्त मान्यता का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
इण्टर वैज्ञानिक वर्ग नवीन	हिन्दी	अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीवविज्ञान
इण्टर मानविकी वर्ग नवीन	हिन्दी	संस्कृत, शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र, इतिहास, कम्प्यूटर, कला, गृह विज्ञान, भूगोल
इण्टर कृषि वर्ग नवीन		विवरण पत्रिका के अनुसार
इण्टर वाणिज्य वर्ग नवीन		विवरण पत्रिका के अनुसार

टिप्पणी– इस पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति 6(छः) माह के अन्दर किये जाने की आख्या एवं प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।

भवदीय,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज।

पृष्ठांकन सं0: मा0शि0प0/क्षे0का0प्र0/मान्यता/ दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– जिला विद्यालय निरीक्षक, प्रतापगढ़।
2– संयुक्त शिक्षा निदेशक, प्रयागराज मण्डल प्रयागराज।
3– उप शिक्षा निदेशक, प्रयागराज मण्डल प्रयागराज।
4– इण्टरमीडिएट परीक्षा अनुभाग मा0शि0प0, क्षे0का0 प्रयागराज।
5– उपसचिव, सिस्टम सेल मा0शि0प0, मुख्य कार्यालय, प्रयागराज।

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज।